# भारतीय समाज में दलित उत्थान एक विश्लेषण

**राजबली पासवान**
शोध–छात्र
राजनीति विज्ञान
बीú आरú एú बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्रपफरपुर ;बिहारद्ध।

**सार–संक्षेप :**

स्वतंत्रता के बाद, सरकारी और गैर–सरकारी दोनों स्तरों पर दलित वर्गों के उत्थान के लिए कई योजनाओं पर भी चर्चा चली। साथ ही कई पहलुओं–सामाजिक मुक्ति, शैक्षणिक सुविधाएँ, सार्वजनिक सेवाओं में नौकरी, नशाबंदी, जाँच आयोग की स्थापना, सामाजिक तथा धार्मिक अयोग्यताओं की समाप्ति, आर्थिक न्याय, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्राशसनिक और वित्तीय उपायों को समेटने की कोशिश की गई थी। 1951 में भारतीय दलित वर्ग संघ के महासचिव और बिहार के सांसद चंद्रिका राम ने हरिजनों के लिए एक सामग्रिक योजना तैयार की थी। भारतीय समाज के विभिन्न समुदायों और हितों के समन्वय के साथ–साथ इस गांधीवादी वैचारिक राजनीति धारा ने कमजोर तथा दलित वर्गों के पक्ष में मजबूत दबाव बनाने का प्रयास किया। समाजवाद और उदारवादी पश्चिमी लोकतंत्र से प्रभावित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की अपनी खोज के जरिए उसकी बहुलतावादी समन्वयकारी धारा से–अशोक एवं अकबर की परंपरा से खुद को जोड़ा। दलित वर्गों के उत्थान में गाँधीवादी विचार धारा, समाजवादी धारा, समाजिक न्याय की धारा, हिन्दुत्व की वैचारिक–रजनीतिक धारा, और कम्युनिस्ट विचार धाराओं का बहुत बडा योगदान रहा है।

शब्द **कुंजी** : ***दलित, विचार धाराऐं, समाजवाद, लोकतंत्र, नेतृत्व***

## भूमिका

15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्रता हासिल करने के साथ भारतीय समाज की पुनर्रचना के प्रयासों के एक विराट दौर का अंत हुआ। इस दौर में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की गई, अनेक अविस्मरणीय संघर्ष हुए, कई प्रश्नों पर काफी जद्दोजहद के बाद सर्वानुमति बनीं और नेतृत्व की एक नई पीढ़ी सामने आई। तथापि औपनिवेशिक शासन ने इन प्रयासों और संघर्षों को आच्छादित कर रखा था । इस शासन के खात्मे के साथ वह कुहरा छँट गया। दरअसल भारतीय समाज की पुनर्रचना पर चिंतन–मंथन और उसके लिए कोशिशें काफी पहले शुरू हो चुकी थीं। इस पुनर्रचना के प्रश्न को केन्द्र कर कई वैचारिक–राजनीतिक धाराएँ जन्म ले चुकी थीं और तीस के दशक आते–आते उन्होंने लगभग स्पष्ट शक्ल हासिल कर ली थी।

## गाँधीवादी वैचारिक–राजनीतिक धारा

कुछेक पश्चिमी विचारकों का प्रभाव स्वीकार करते हुए गांधी देशी विचार–परंपराओं से वेदांत/जैन/बौद्ध/सूफी–संत पंरपरा से घनिष्ठ रूप से जुड़े थे। भारतीय समाज के विभिन्न समुदायों और हितों के समन्वय के साथ–साथ इस गांधीवादी वैचारिक राजनीति धारा ने कमजोर तथा दलित वर्गों के पक्ष में मजबूत दबाव बनाने का प्रयास किया। कांग्रेस से जुड़े रहते हुए और उससे परे जाते हुए पूरे देश में आश्रमों की श्रृंखला के जरिए एक नए सामाजिक नेतृत्व की पूरी प्रणाली विकसित की। इस प्रणाली ने अनेक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को जन्म दिया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में न मालूम कितने लोग इससे प्रभावित और प्रेरित हुए। इसने आंदोलन के नए–नए रूपों, अनेक रचनात्मक कार्यों, बोल–चाल, रहन–सहन, आदि सभी क्षेत्रों में सामाजि–राजनीतिक नेतृत्व की एक नितांत अनूठी पीढ़ी तैयार की जो स्वतंत्रता आंदोलन की रीढ़ शक्ति बनी।

सन् '20' में 'यंग इंडिया' में लिखते हुए गांधीजी ने भारतीय समाज की पुनर्रचना के लिहाज से दो अहम प्रश्नों–दलित–प्रश्न और हिन्दू–मुस्लिम एकता के प्रश्नों का जिक्र किया। उनके अनुसार, इन प्रश्नों के समाधान के बिना स्वराज दुलर्भ होगा। हमारा स्वतंत्रता आंदोलन दूसरे प्रश्न के समाधान में विफल रहा– परिणाम हुआ भयानक दंगों और आबादी के सबसे बड़े स्थानांतरण के बीच मिली आजादी। इस विफलता का साया भारतीय समाज पर आज तक छाया है। पहले प्रश्न के समाधान की दिशा में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुछ सफलता तो मिली, कुछ सर्वानुमति बनी,

लेकिन उसका समाधान आज तक नहीं हुआ। दलित वर्गों की सत्ता में भागीदारी और उनके उत्थान के लिए उठाए गए अनेक सामाजिक–आर्थिक कदमों के पचास वर्ष बाद भी उनके साथ सामाजिक भेदभाव एवं अत्याचार की घटनाएँ इस बात की गवाह हैं।

### नेहरूवादी समाजवादी धारा

समाजवाद और उदारवादी पश्चिमी लोकतंत्र से प्रभावित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की अपनी खोज के जरिए उसकी बहुलतावादी समन्वयकारी धारा से–अशोक एवं अकबर की परंपरा से खुद को जोड़ा। उदारवादी जनतंत्र, जनवादी समाजवाद और मिश्रत अर्थव्यवस्था के आधार पर भारतीय समाज की 'आधुनिक' पुनर्रचना के वे प्रतिनिधि पुरुष बने।

### समाजिक न्याय की धारा

यह धारा तीस का दशक आते–आते दो स्पष्ट धाराओं में बंट चुकी थी। एक धारा दलित प्रश्न के समाधान के आधार पर भारतीय समाज की पुनर्रचना की हिमायती थी। दलित वर्ग इस धारा के सामाजिक आधार थे और इसके सबसे सशक्त प्रवक्ता थे डॉ. बाबा साहब अंबेडकर। भारतीय विचार परंपरा में यह बौद्ध मत तथा संत–परंपरा की श्रृंखला में खुद को देखती थी। भारत के विभिन्न अंचलों में चले अनेक सामाजिक आंदोलनों (मालाबार में नारायण गुरू, महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले, महादेव गोविंद रानाडे, छात्रपति महाराज, मद्रास में पेरियन रामास्वामी नायकर, उत्तर भारत में जनेऊ आंदोलन से लेकर कई छोटे–बड़े आंदोलन, आदि) की पृष्ठभूमि में यह धारा तीस के दशक में एक सशक्त वैचारिक–राजनीतिक धारा बन चुकी थी। इस धारा से जुड़े कई नेता (जैसे बिहार में जगजीवन राम मद्रास में कामराज नाडर आदि) तब महात्मा और कांग्रेस के नेतृत्व से भी जुड़े थे। भारतीय सवंधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. अंबेडकर थे और इसने दलित वर्गों को भारतीय संविधान के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई।

## हिन्दुत्व की वैचारिक–रजनीतिक धारा

यह धारा हिन्दुत्व के आधार पर भारतीय समाज की पुनर्रचना करना चाहती थी। हिन्दू एकजुटता को आधार बनाते हुए यह, जाहिर है, मुस्लिम तथा ईसाई समुदायों को अपना निशाना बनाती और उनके हिन्दूकरण पर जोर देती। तीस के दशक में ही विनायक दामोदर सावरकर इस धारा के प्रमुख विचारक और सिद्धांतकार के रूप में सामने आए। यह धारा भी उन दिनों यूरोप में प्रचलित उग्र राष्ट्रवादी विचार शाखाओं, खासकर नाजीवाद से काफी प्रभावित थी और यह उसके संगठन के रूप, कार्यश्शैली, पोशाक, 'रिलीजन' और 'राष्ट्र' की उनकी परिभाषा एवं समझ में अभिव्यक्त होता।

## कम्युनिस्ट धारा

यह धारा वर्ग आधार पर–मजदूर वर्ग के नेतृत्व में मजदूर–किसान संश्रय पर आधारित जनवादी क्रांति के जरिए भारतीय समाज की पुनर्रचना की हिमायती थी। यह धारा मार्क्सवाद–लेनिनवाद को अपनी मार्ग दर्शक विचारधारा मानती थी और भारतीय समाज में चली आ रही अ–वैदिक संप्रदायों और संत–परंपरा के कुछ हिस्सों के साथ खुद को जोड़ती थी। बिहार में 20 अक्टूबर, 1939 को सुनील मुखर्जी के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी की प्रांतीय शाखा का गठन हुआ था और उसके आरंभिक नेता किसान सभा आंदोलन में सक्रिय थे।

## आजादी के समय दलितों की स्थिति

जुलाई, 1949 में हरिजन उत्थान के लिए पंचवर्षीय योजना तैयार करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने एक हरिजन जाँच समिति का गठन किया था। इस समिति के अध्यक्ष थे ए.वी.ठक्कर और इसके सदस्य थे–अर्थशास्त्र के पूर्व प्रोफेसर और पब्लिक इंस्ट्रक्शन के निदेशक गोरखनाथ सिन्हा, पुराने पटना विश्वविद्यालय के कुलपति सारंगधर सिंह, प्रो. बलदेव नारायण, बिहार हरिजन सेवक संघ के एन.एन.सिन्हा, महावीर दास और विधायकगण चंद्रिका राम, जमुना प्रसाद सिन्हा, भागवत प्रसाद और जयदेव प्रसाद। समिति ने नवंबर, 1952 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। समिति ने अपनी जाँच–पड़ताल के क्रम में पटन, मुजफ्फरपुर, आरा, बेतिया, भागलपुर, पुरुलिया, रांची, दरभंगा, छपरा और डाल्टनगंज का

दौरा किया। वे सुदूर गाँवों में गए। एक प्रश्नावली की 5000 प्रतियाँ वितरित कीं, हालाँकि मात्र 85 लोगों ने उनका जवाब देना मुनासिब समझा। समिति ने हरिजनों की वास्तविक जरूरतों और उनको पूरा करने के उपायों पर विचार करते हुए अपनी अनुशंसाओं को आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक और राजनीतिक श्रेणियों में वर्गीकृत किया। समिति की रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार थेः

1. हरिजनों क आर्थिक दुर्दशा में कोई खास फर्क नहीं आया था। 1920 के बिहार एण्ड उड़ीसा कमियौती एग्रीमेंट एक्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। वे कर्ज में डूबे थे और सूद की दर सालाना 20 से 75 फीसदी तक थी। समिति ने कमियौती एक्ट के बारे में लोगों को जागरूक करने और बेगार तथा कमियौती को दंडनीय अपराध घोषित करने की सिफारिश की थी।
2. समिति ने पाया कि हरिजनों के पास प्रायः अपना घर नहीं था। गाँवों में वे अलग–अलग टोलों में रहते थे, जहाँ मामूली सुविधाएँ भी नहीं थीं। शहरों में भी वे काफी गंदी बस्तियों में बसे थे और मैला ढोने से लेकर कपड़े साफ करने जैसे कामों में लगे थे। समिति ने गाँवों में परती जमीन हरिजनों को बंदोबस्त करने, हर साल उनके लिए लगभग 200 घर बनवाने और इन घरों में सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध कराने का सुझाव दिया था। साथ ही, दो सौ परिवारों को एक साझा कुटीर उद्योग के साथ सामुदायिक रूप से बसाने का भी प्रस्ताव था। नगरपालिका के भंगियों के लिए समिति ने समान काम के लिए पुरूष और महिलाओं को समान वेतन देने, स्थायी रोजगार की व्यवस्था करने, साप्ताहिक पगार देने और मान्यता प्राप्त एजेंसियों से नकद ऋण देने का सुझाव रखा था।
3. शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति यह थी कि 1951 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले कुल 37,721 छात्रों में हरिजन की संख्या मात्र 392 थी। समिति ने मुफ्त ट्यूशन, आम और तकनीकी संस्थानों में भर्ती, स्कूल तथा कॉलेज लाइब्रेरी की सुविधा, पुस्तक अनुदान, छात्रवृत्ति तथा छात्रावासों के प्रबंध का सुझाव रखा था।
4. समिति ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कमिटि की सिफारिशों का भी समर्थन किया था। हालाँकि रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक यह एक्ट रद्द किया जा चुका था।
5. समिति ने पाया कि स्थानीय निकायों और अन्य प्रतिनिधि संस्थाओं में दलितों का प्रतिनिधित्व नाम मात्र ही था । यही हाल सरकारी नौकरियों में भी था।

समिति की नजर में राजनीतिक इच्छा–शक्ति की कमी के कारण इस सिलसिले में नीतियों का कार्यान्वयन नहीं हो पाया था। सिर्फ विधानसभा और संसद में उनका प्रतिनिधित्व (पूना समझौते के कारण) ठीक–ठाक था। (भारतीय संविधान के तहत बिहार विधान सभा में उनके लिए 1952 में 46 सीटें आरक्षित थीं। इन 46 हरिजन विधायकों में कांग्रेस के 38, सोशलिस्ट पार्टी के 3, झारखंड पार्टी के 2, और अन्य 3 विधायक थे।)

## बिहार हरिजन बिल, 1949

1920 और 1930 के दशक में चले अस्पृश्यता–निवारण आंदोलन की स्वाभाविक परिणति के रूप में आजाद भारत की बिहार विधान सभा में फरवरी, 1949 में जगलाल चौधरी ने बिहार हरिजन (रिमूवल ऑफ सिविल डिजेबिलिटीज) बिल, 1949 पेश किया। इस बिल के तहत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित करते हुए, उसके लिए छः महीने की सजा और पाँच सौ रूपए के जुर्माने का प्रावधान था। बिल पर काफी जोरदार बहस हुई जिसमें राम बसावन राम, प्रभुनाथ सिंह, लतीफुर्रहमान, ललित मोहन सिंह, कालिका प्रसाद सिंह, चेतू राम, यमुना राम, शक्ति कुमार, राम गुलाम चौधरी, जीतू राम, लंबोदर मुखर्जी आदि विधायकों ने हिस्सा लिया। इसी चर्चा के बहाने बिहार में हरिजनों की स्थिति और सवर्ण समाज के रवैये पर अच्छी–खासी बहस भी हो गई। प्रस्ताव पेश करते हुए जगलाल चौधरी ने इस बहस का आगाज किया, 'इस बिल का मकसद है कि हरिजनों के खिलाफ कुछ चलन.... जैसे कुओं से पानी न निकालने देना, मंदिरों में न जाने देना, औरों के सामने सवारी पर न बैठने देना, या सवारी वालों द्वारा उन्हें सवारी पर बैठाने से इनकार कर देना, होटलों में भोजन न करने देना, स्कूलों में और लड़कों के साथ न बैठने देना, इत्यादि ... दूर किया जाए...

**जगजीवन राम :** ''मैं वर्ग संघर्ष नहीं चाहता। पर जिनके पास लक्ष्मी है, उनसे मैं यह कहना अवश्य चाहता हूँ कि बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है और उन्हें यह न भूलना चाहिए कि बाँध टूट जाने पर जल की धार इतनी तीव्र हो जाती है कि वह प्रलय भी मचा सकती है.... स्वागताध्यक्ष ने अपने भाषण में बतलाया है कि हमारे पास आँसुओं के सिवा है ही क्या? पर मैं तो असमंजस में पड़ जाता हूँ कि क्या आपकी आँखों में आँसुओं का स्रोत भी अभी है? आँसुओं

की जगह तो आग के शोले होने चाहिए थे। जो लोग पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में जातीयता की गंध पाते हैं, उनसे मैं नम्रतापूर्वक कहता हूँ कि इसमें जातीयता नहीं–वरन यह तो जातीयता की प्रतिक्रिया है... मैं तो वर्ण–व्यवस्था और जाति–व्यवस्था मिटाने के लिए संघर्ष की घोषणा करता हूँ–विद्रोह करने को कहता हूँ। मैं सबों को इसके नाश के लिए प्रोत्साहन देता हू

**वीरचंद पटेल :** पिछड़ा वर्ग का आंदोलन भारत का सबसे बड़ा आंदोलन है– उससे भी बड़ा जो अंग्रेजों के समय में उसकी दासता से मुक्ति के लिए राष्ट्रपिता बापू के नेतृत्व में चलाया गया था.... जगजीवन बाबू की वाणी में हिन्दुस्तान की भावी क्रांति बोल रही थी... (वीरचंद पटेल तब बिहार सरकार के उपमंत्री थे)

**रामरूप प्रसाद रायः** 'कांग्रेसी किसी जाति या समुदाय की बपौती नहीं....हिन्दुस्तान की आजादी में दलित और पिछड़े वर्ग ने भी अहम बलिदान किया है.... अभी मैंने कल जो सुल्तानगंज थाने में भागलपुर कमिश्नरी के शहीदों की लिस्ट टंगी देखी है, उसमें 65 में से 48 पिछड़े वर्ग के थे। पिछड़ा वर्ग राष्ट्र की रीढ़ है, समाज की रीढ़ है, यह कांग्रेस की भी रीढ़ है...

## दलित उत्थान की योजना

1951 में भारतीय दलित वर्ग संघ के महासचिव और बिहार के सांसद चंद्रिका राम ने हरिजनों के लिए एक सामग्रिक योजना तैयार की थी जिसमें करीब–करीब सभी पहलुओं–सामाजिक मुक्ति, शैक्षणिक सुविधाएँ, सार्वजनिक सेवाओं में नौकरी, नशाबंदी, जाँच आयोग की स्थापना, सामाजिक तथा धार्मिक अयोग्यताओं की समाप्ति, आर्थिक न्याय, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्राासनिक और वित्तीय उपायों को समेटने की कोशिश की गई थी। इस योजना में संविधान के प्रावधानों, राज्य द्वारा पारित कानूनों तथा विभिन्न समितियों तथा आयोगों के सुझावों को भी ध्यान में रखा गया था। इसकी आर्थिक योजना के कुछ प्रमुख बिन्दु इस प्रकार थेः–

1. तमाम जमीन का राष्ट्रीयकरण और ऐसे लोगों के साथ जमीन की बंदोबस्ती जिनका कोई धार्मिक तथा सामाजिक पूर्वाग्रह न हो और जो जमीन जोतने की इच्छा रखते हों। जब तक ऐसा नहीं हो पाता, तब तक–
   (क) कृषि योग्य, तथा कृषि योग्य किन्तु परती पड़ी सारी जमीन की सिर्फ अनुसूचित जाति के सदस्यों के साथ बंदोबस्ती और
   (ख) 1948 के न्यूनतम मजदूरी कानून के प्रावधानों के अनुरूप कृषि के क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी का शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वयन।
2. एक बंदोबस्ती आयोग का गठन। यह आयोग विभिन्न राज्यों में खेती न की जानेवाली सारी जमीन अपने हाथ में ले लेगा या खरीद लेगा और फिर राज्यों में अनुसूचित जातियों और भूमिहीन लोगों के बीच उसका वितरण करेगा तथा खेती के उद्देश्य से उसका इस्तेमाल करेगा।
3. सभी आधारभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण।
4. शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कोऑपरेटिव आधार पर लघु उद्योगों, खासकर कुटीर उद्योगों की स्थापना करे और उन्हें सहायता प्रदान करे।
5. संबंधित राज्य सरकारों की मदद से अनुसूचित जातियों के सभी वंशानुगत उद्योगों को (जैसा जूता, बांस, बेंत, उद्योग आदि) कोऑपरेटिव आधार पर संगठित किया जाए और इस काम के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाएँ।
6. अपने परंपरागत पेशों वाले लघु उद्योगों में लगे सभी अनुसूचित जाति के लोगों को इन उद्योगों को समुचित तथा सक्षम ढंग से चलाने के लिए सहायता दी जाए; उन्हें देश के विभिन्न राज्यों द्वारा पारित विभिन्न राजकीय सहायता कार्यक्रमों के तहत सहायता अथवा ऋण प्रदान किया जाएँ।
7. हमारे संविधान की धारा 23 का पालन करते हुए किसी भी रूप में बंधुआ तथा बेगार श्रम को संज्ञेय अपराध माना जाए।
8. सभी राज्य सरकार कानून बनाकर, बिहार गवर्नमेंट होमस्टीड एक्ट की तर्ज पर अनुसूचित जाति के लोगों को ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के आवास की सुविधा प्रदान करे।
9. जहां तक संभव हो सके, अत्यंत गंदगी की स्थितियों में रहनेवालों को अलग कॉलोनियों अथवा हरिजन बस्तियों में बसाया जाए ताकि उन्हें स्वच्छ हवा और स्वस्थ हवा और स्वस्थ वातावरण मिल सके।
10. इन वर्गों को लघु ऋण प्रदान करने के लिए हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी संगठित की जानी चाहिए।

11. उन्हें सहायक रोजगार प्रदान करने के लिए सूअर–पालन केन्द्र, मुर्गी–पालन केन्द्र, कृषि उद्योग, वन आधारित उद्योग, लकड़ी उद्योग, आदि शुरू किया जाना चाहिए।
12. चमड़ा–उद्योग में रोजगार के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जाने चाहिएः

(क) इन मजदूरों की मजदूरी 1948 के न्यूनतम मजदूरी कानून के प्रावधानों के आधार पर तय की जानी चाहिए,

(ख) लेदर कोऑपरेटिव सोसाइटी गठित की जानी चाहिए और उसे राजकीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

(ग) प्रत्येक गाँव में अथवा कुछ गाँवों के समूह में, मृत जानवारों का चमड़ा उतारने के लिए कुछ जमीन मुहैय्या की जानी चाहिए।

13. स्थानीय निकायों के कामगारों के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिएः
14. (क) इनकी मजदूरी 1948 के न्यूनतम मजदूरी कानून के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए।
15. (ख) उनकी सेवा नियमित की जानी चाहिए; उन्हें मातृत्व अवकाश, भविष्य निधि कोष और साल में कम से कम 15 दिनों के संवैधानिक अवकाश की सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए;

(ग) उन्हें आवास, रोशनी तथा पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए; और

(घ) उन्हें कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू की जानी चाहिए (उन्हें कहीं–कहीं महाजनों को सौ फीसदी से भी ज्यादा ब्याज देना पड़ता है।) कर्ज के कारण वंशानुगत रूप से बंधुआ बन गए अनुसूचित जाति के लोगों को राहत देने और उनकी कर्ज माफी के लिए ग्रामीण इलाकों में कदम उठाना चाहिए।

16. केन्द्र सरकार की ओर से तमाम राज्य सरकारों को यह निर्देश जारी करना चाहिए कि वे अपने–अपने अंचलों की स्थितियों के अनुरूप अनुसूचित जातियों के सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान के लिए एक पंचवर्षीय योजना तैयार करें।

## दलित उत्थानः जनजागरण अभियान

पचास के दशक के दौरान बिहार राज्य दलित वर्ग संघ ने दलित–प्रश्न को केन्द्र कर समाज में जनजागरण अभियान चला रखा था। प्रखंड से लेकर राज्य–स्तरीय सम्मेलन तो हो ही रहे थे, साथ ही विभिन्न अंचलों/प्रखंडों में सामाजिक मेलों का आयोजन किया जाता था। अस्पृश्यता–निवारण के लिए अनेक कार्यक्रम भी चलाए जा रहे थे। आजादी के पहले के ऐसे कार्यक्रमों की तुलना में फर्क यह हुआ था कि अब विधायकों एवं मंत्रियों की उपस्थिति के कारण ये सरकारी समारोहों में बदलते जा रहे थे। यहाँ दलित वर्ग संघ की इन गतिविधियों का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया जा सकता है। हाल में जो जमीन के सुधार का कानून लाया गया हे, उससे हरिजनों के बीच एक इंच जमीन भी बँटनेवाली नहीं है, क्योंकि इस कानून के बन जाने पर भी जमीन वालों को यह मौका दिया जाएगा कि अपनी जीमन का जैसा चाहे बँटवारा कर लें। इस तरह से जमीन के मामले में हम जहाँ थे, करीब वहीं हैं।

- ❖ वासगीत जमीन। हमारे आधे से अधि लोगों को घर बनाने की भी जमीन नहीं है। भूमिहीन हरिजनों को कम–से–कम 3 से 5 कट्ठा जमीन अर्जित कर दी जाए और इसके बाद कुछ पैसे की भी सहायता की जाए।
- ❖ खेत मजदूरी। मजदूरी भरण–पोषण लायक भी नहीं, अधिकांश राज्यों में न्यूनतम मजदूरी कानून की अवहेलना हो रही है। हदबंदी के बाद जो जमीन मिलेगी, उस पर इनसे सहयोगी खेती कराई जाए जिनमें उन्हें हल, बैल मिल सके और पानी पटाने की व्यवस्था हो सके। अगर ऐसा हो तो इससे उनकी हालत में काफी सुधार होगा।
- ❖ समाजिक समस्याएँ, हरिजन बस्तियों की जीवन स्थितियाँ काफी बदतर हैं। गंदगी और बीमारी का प्रकोप है। हरिजनों के लिए घर बनाने का, पानी, रोशनी और प्रकाश का, उनकी रोजी–रोटी का समुचित और सुव्यवस्थित प्रबंध होना चाहिए।
- ❖ शिक्षा – बिहार राज्य दलित वर्ग संघ के सन् 50 के प्रतिवेदन में ही पचास फीसदी से अधिक लड़कों को वजीफा देने की बात कही गई थी। आज दस फीसदी लड़कों को भी वजीफा नहीं मिलता। हर छात्र को मिलना चाहिए। हर प्रखंड में हरिजन आवासीय स्कूल खोला जाना चाहिए। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का कार्यक्रम जल्दी प्रारंभ होना चाहिए।

- धार्मिक समस्याएँ। धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता दी जाए। हिन्दू धर्म में सुधार।
- बेकारी और नौकरी– संविधान के अनुच्छेद 335 में कहा गया है कि योग्यता और दसूरी बातों को देखते हुए हरिजनों के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों में नौकरियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात से स्थान सुरक्षित रहेंगे। हमें चिंता और दुःख है कि संविधान की धारा का बहुत से राज्यों में, केन्द्रीय सरकार के बहुत से विभागों में पालन नहीं होता। इन सुविधाओं की सूचना देना और उनका प्रचार करना जरूरी है।
- भंगी मुक्ति।
- हमारी गुलामी और गरीबी का अंत होगा हमारे अपने प्रयत्न से, अपने आंदोलन और संगठन से। समान अवसर, सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य नेहरूजी की आशाओं की तुलना कीजिए दलित वर्ग संघ के आकलन से।

## दलितोत्थान की धीमी चाल

दलितों की स्थिति में सुधार किस गति से हो रहा था, इसे जानने के लिए साठ के दशक के कुछ आंकड़ों पर ध्यान दिया जा सकता। सन् 1961 की जनगणना में बिहार में दलितों की आबादी थी 65,36,875 जो कुल आबादी (4,64,55,610) का 14.05 फीसदी थी। अनुसूचित जातियों के मुख्य श्रमिकों में खेत मजदूरों का अनुपात 54.93 फीसदी थी, जबकि काश्तकारों का मात्र 23.88 फीसदी। अनुसूचित जातियों में मात्र 5.9 फीसदी साक्षर थे। (अखिल भारतीय पैमाने पर यह 10.3 फीसदी था)।

**बिहार में सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों का वास्तविक प्रतिनिधित्व**
**(1957 और 1964 में)**

| क्रं. सं. | सेवा की श्रेणी | कुल कार्यबल | | अनुसूचित जातियों की संख्या | | प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1957 | 1964 | 1957 | 1964 | 1957 | 1964 |
| 1 | प्रथम श्रेणी | 476 | 688 | 2 | 4 | 0.4 | 0.6 |
| 2 | द्वितीय श्रेणी | 4,695 | 5,924 | 80 | 204 | 1.7 | 3.4 |
| 3 | तृतीय श्रेणी | 64,905 | 1,12,830 | 1,781 | 4,962 | 2.7 | 4.4 |
| 4 | चतुर्थ श्रेणी | 24,424 | 40,150 | 3,325 | 7,075 | 13.6 | 17.6 |

## *दलितों की शैक्षणिक स्थिति*

1961 की तुलना में 1971 में दलितों की साक्षरता–दर में मामूली वृद्धि ही दर्ज की गई–5.9 फीसदी से बढ़क रवह 6.5 फीसदी हुई। संख्या के लिहाज से दलितों की कुल 79,50,652 की आबादी (71 की जनगणना) में साक्षरों की संख्या थी 5,19,277। बिहार में औसत साक्षरता दर थी बीस प्रतिशत। 1981 की जनगणना में दलितों की साक्षरता दर बढ़कर 10.4 प्रतिशत तक पहुँची।

## नब्बे के दशक में दलित

नब्बे का दशक आते–आते दलित उत्थान का प्रश्न अपने विकास–क्रम में एक मुहाने पर आ पहुँचा। कमिया अछूत अब करीब सत्तर साल बाद दलित खेत मजदूर के रूप में प्रदेश के विभिन्न अंचलों में अपनी संगठित शक्ति का अहसास कराने लगे थे। 'क्रिमिनल' के रूप में जाना जानेवाला अछूत अब नक्सली दलित के रूप में जमीनी स्तर पर राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने लगा था।

## साक्षरता / शिक्षा

1991 में दलितों में साक्षरता दर 19.49 प्रतिशत थी– पुरुषों में 30.64 और महिलाओं में 7.07। सन् 1981 में यह दर थी 10.40 प्रतित–पुरुषों में 18.02 और महिलाओं में 2.51 प्रतिशत। 1981 की जनगणना तक 4 और उससे कम उम्र

के बच्चों को निरक्षर में शुमार किया जाता था, लेकिन 1991 की जनगणना में 0–6 वर्ष के बच्चों की आबादी घटाकर साक्षरता दर निकाली गई थी। इसलिए साक्षरता दर में थोड़ी तेज बढ़ोतरी दिखाई देती है।

## सरकारी नौकरी

सरकारी नौकरियों में आरक्षण के बावजूद एक बड़ी समस्या रिक्तियों को भरे जाने की थी। 1995 के एक अध्ययन में बताया गया कि राज्य सरकार ने तमाम विभागों और श्रेणियों में जिन 3,94,173 पदों पर बहाली की, उनमें दलितों का प्रतिनिधित्व मात्र 6.19 प्रतिशत था, जबकि प्रावधान 14 प्रतिशत का था। यानी आरक्षित पदों में से आधे से भी कम पदों पर दलित अभ्यार्थियों की बहाली की गई थी। इस मामले में सरकार द्वारा प्रदत्त सूचनाएँ प्रायः आधी–अधूरी होती हैं।

बहरहाल, दलितों की सामाजिक–आर्थिक दशा में सुधार पूरे भारतीय समाज की समस्या है, इसीलिए निजी क्षेत्र को भी इस कार्य में शामिल करने, उसके द्वारा दलितों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण का काम हाथ में लेने, और अपनी भर्ती में दलितों को आबादी के अनुरूप समुचित प्रतिनिधित्व देने की मांग समय–समय पर उठती रही है– नब्बे के दशक में यह मांग अधिक जोरदार ढंग से उभरकर सामने आई।

## संदर्भ सूची


**[1]** 'बिहार में सामाजिक परिवर्तन के कुछ आयाम', नई दिल्ली, 2001

**[2]** फाइल नं, 6/1944 (कांफिडेंशियल), राज्य अभिलेखागार, पटना।

**[3]** दि इंडियन नेशनः 2 दिसम्बर, 1952

**[4]** विधान सभा वाद विवाद; 3 फरवरी, 1947, पृ. 205

**[5]** विधान सभा वाद विवाद; 26 अप्रैल, 1949।

**[6]** विधान सभा वाद विवाद, खंड 6, संख्या 8; 22 और 23 फरवरी, 1949

**[7]** विधान सभा वाद–विवाद; खंड 4, संख्या 36; 1 अप्रैल, 1954

**[8]** दि इंडियन नेशन; 4 दिसम्बर, 1952

**[9]** 'पिछड़ा वर्ग' (पिछड़ा वर्ग संघ का प्रमुख पत्र); वर्ष 5, अंक 3–4, 18 मई, 1953

**[10]** दि सर्चलाइट; 11 और 12 दिसम्बर, 1954; 'प्रदीप'; 13 दिसम्बर, 1954

**[11]** राम, चन्द्रिका; 'ए प्लान फॉर हरिजन्स एण्ड अदर बैकवर्ड क्लासेस', नई दिल्ली, 1951

**[12]** प्रदीप, 2 मार्च, 1955

**[13]** आर्यावर्त; 5 अप्रैल, 1955

**[14]** बिहार राज्य दलित–वर्ग संघ का वार्षिक प्रतिवदेन, 1958–59, पटना, 1959

**[15]** हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड; 11 नवम्बर, 1959

**[16]** इलया पेरूमल समिति की रिपोर्ट, कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, 1969